



REVISED

**Office of the Deputy Conservator of Forest and DY,
Field Director (Core) RVTR Bundi**

Address :- Hanumat Vatika, Near Jait Sagar Lake Office

E-Mail ID-dcfsdyfdecorebundi@rajasthan.gov.in & rvtr@gmail.com (Tel: - 0747-2940255)

No:- / F/F.C.A. / R.V.T.R. / 4382
To %&

Dated :- 18/9/2023

**Executive Engineer,
PHED,
Project Division Bundi**

Sub%& In-Principal approval with regards to Diversion of 4.9975 ha. Forest land for Laying of pipeline Hindoli-Nainwa Water Supply Project District Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (Phase-I) District Bundi Rajasthan in favour of Executive Engineer Public Health Engineering Department Rajasthan. (FP/RJ/WATER/154215/2022)

Ref%& The Ministry of Environment, Forest and Climate Change Rajasthan Jaipur letter dated 10-08-2023.

Sir,

With refrence to the above mentioned subject that some conditions which need to complied prior to handling over of forest land by the User agency or state forest department rajasthan and in compliance of some conditions as following you deposit amount's in CAMPAs account (Through E portal) and then submit the receipt in this office.

1. **Cost of CA Scheme 11.40 /- Laacs.**

2. **Net present Value of forest land and protected land = 55.06374/- Laacs.**

Further you submit an affidavit of complete compliance of all conditions on 50/- (Fifty rupees) non judicial stamp in two copies and certificate of forest right act, 2006 from concern authority. So that further action can be taken.

Regard's

**Sanjeev Sharma
Deputy Conservator of Forest
And DY. Field Director(Core) RVTR Bundi
Dated:-**

No:- / F/F.C.A. / R.V.T.R. /

Copy Forwarded to the following for information and necessary action-

1. The Principal Chief Conservator of forest and chief wildlife warden Rajasthan (Jaipur).
2. Additional Principal Chief Conservator of forest and Nodal officer FCA Rajasthan (Jaipur)
3. Chief Conservator of Forest (Wildlife) & Field director MHTR Kota.
4. Deputy Conservator of Forest Bhilwara.

Validity unknown
Digitally signed by Sanjeev Sharma
Designation: Deputy Conservator,
Of Forest
Date: 2023.09.17 17:34:47 +05'30'
And Reason: Approved
And DY. Field Director (Core) RVTR Bundi

RajKaj Ref No.: 4749181

FL 1



कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0 / उवसं / 2022-23 / 8635

दिनांक : 16-8-2023

अधीशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड बून्दी।

विषय: — Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI
From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi Proposil No.
FP/RJ/WATER/154215/2022

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/028/2023/JPR/ दिनांक 10.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/028/2023/JPR/ दिनांक 10.08.2023 से Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi (Online Proposil No. FP/RJ/WATER/154215/2022) के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 4.9975 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर प्रदान करती हैं।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कार्यालयाधीन प्रभावित वन क्षेत्र के बदले प्राप्त गैर वन भूमि में वृक्षारोपण की राशि का मांग पत्र उप वन संरक्षक रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व (कोर) बून्दी की जानी है।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं संशोधित आदेश 5-3/2011- FC (Vol&-1) दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 957780 प्रति है0 की दर से 1.5876 (प्रादेशिक वन भूमि) है0 की राशि 1520571.53 रु0 एवं रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र की शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 4788900 प्रति है0 की दर से 1.9717 (RVTR Buffer) है0 की राशि 9442274.13 रु0

बिन्दू संख्या 2 की कुल राशि 10962845.66 रु0 (एक करोड़ नौ लाख बासठ हजार आठ सौ छियालिस रुपए) ई-पोर्टल (<http://parivesh.nic.in/>) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा केम्पा अकाउंट में जमा करवाकर एवं एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दूवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में प्रेषित करे। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
संलग्न:-प्रासांगिक पत्र।

बून्दी

(ओमप्रकाश जांगिड)
उप वन संरक्षक
बून्दी

दिनांक :

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0 / उवसं / 2022-23 /
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3. जिला कलक्टर, बून्दी।
4. उप वन संरक्षक रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व (कोर) बून्दी।

(ओमप्रकाश जांगिड)
उप वन संरक्षक
बून्दी

कार्यालय उप वन संरक्षक , भीलवाडा

दिनांक 16/08/2023

क्रमांक/एफसीए/उवस/2023-24/ 537)
EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI, RAJASTHAN
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT RAJASTHAN
PROJECT DIVISION, BUNDI, RAJASTHAN

विषय:- Diversion of 4.9975 Ha. Of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineer Department, Rajasthan. प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, के पं. 8बी/राज/028/2023/जेपीआर/दिनांक 10.08.2023

राशि मांग पत्र

1. प्रस्ताव का नाम :- Diversion of 4.9975 Ha. Of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineer Department, Rajasthan. प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, के पं. 8बी/राज/028/2023/जेपीआर/दिनांक 10.08.2023
3. वन्यजीव स्वीकृति का विवरण :- निल
4. प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का विवरण (है.) :- 4.9975 Ha.(Bhilwara Division- 0.8676 Ha.)

Category	Reserved Forest	Protected Forest	Unclassed Forest	Deemed Forest	Other	Total
Area(Ha.)	0	0.8676	0	0	0	0.8676

5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का विवरण (है.) :-

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	Total
Area(Ha.)	0.8676	0	0.8676

नोट:- गैर वन भूमि का आवंटन कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी के क्षेत्र में समायोजित की गयी है। राशि की मांग उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी द्वारा किया जाना है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि कैम्पा फण्ड ई-पोर्टल द्वारा जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं पालना से अवगत करावे:-

स्वीकृति में अधि-रोपित शर्त क्रमांक	अधिरोपित शर्त विवरण	भाग राशि का मद	क्षेत्रफल है. / संख्या / मात्रा	दर/ गणना सूत्र	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/ खाते का विवरण	वि.वि.
01	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation, and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	CA (NFL)	0.8676 Ha.	-	-	-	राशि की माग उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी द्वारा किया जाना है।
03	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 1/8/2003, 28/3/2008, 24/4/2008, and 9/5/2008 in IA No. 566 in WP(C)No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998- FC(pt.II) dated 18/9/2003 as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007 FC dated 5/2/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 6-1-2022 in this regard.	NPV	0.8676 Ha.	957780 /- per Ha. ECO Class-III (Open Forest)	830970 /- (Eight Lakhs, Thirty Thousand, Nine Hundred Seventy Rupees Only).	CAMPA fund only through e-portal	

साथ ही प्रासंगिक पत्र द्वारा अधिरोपित सौदागतिक शर्तों की पूर्ण ठोस अनुपालना मय अण्डरटेकिंग सहित रिपोर्ट भिजवावे ताकि वन भूमि प्रत्यावर्तन संबंधी विधिवत स्वीकृति जारी करवाई जा सके।

संलग्न:- पं. दि. 10.08.2023

भवदीय,
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा ✓

क्रमांक/एफसीए/उवस/2023-24/ 5372-77

दिनांक 16/8/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज. जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, भीलवाडा
4. जिला कलक्टर, बूंदी।
5. उप वन संरक्षक, बूंदी, वनमण्डल बूंदी, राजस्थान।
6. उप वन संरक्षक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी, वनमण्डल बूंदी, राजस्थान।

उप वन संरक्षक,
भीलवाडा ✓